भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 537
06 फरवरी 2024, को उत्तरार्थ

विषयः एसएसपी नीति तैयार करना

537. **डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः**
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री राहुल रमेश शेवालेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी) फसलों के चयन के संबंध में किसानों के निर्णय को प्रभावित कर सकता है और यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या कुछ फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल विविधीकरण में बाधा डाल रहा है और कुछ चुनिंदा राज्यों को लाभ पहुंचा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से घरेलू उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और देश अभी भी अपनी 55 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रमुखतः अगले पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को यह पता चल सके कि उन्हें भविष्य में अपनी फसलों के लिए क्या मिलेगा और तदनुसार वे सुविज्ञ निर्णय ले सकें; और

(ङ) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ग): सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। एमएसपी का उद्देश्य उच्च निवेश और उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

हाल के वर्षों में, सरकार तिलहन फसलों में विविधीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, पिछले वर्षों की तुलना में तिलहनों के एमएसपी में अधिक वृद्धि कर रही है। मूल्य नीति के अलावा, तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके वनस्पति तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश के 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि/बागवानी विभाग के माध्यम से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात्, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन और तेल पाम (एनएफएसएम-ओएस एंड ओपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप, तिलहन का उत्पादन 2014-15 में 275.11 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 413.55 लाख टन हो गया है, जो कि 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। इसके अतिरिक्त तिलहन की खरीद 2014-15 में 0.04 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 11.71 लाख मीट्रिक टन हो गई है, जिससे लगभग 4.8 लाख किसान लाभान्वित हुए है। इसी अवधि के दौरान, तिलहन की खरीद पर व्यय (एमएसपी मूल्यों पर) 15 करोड़ से बढ़कर 6.6 हजार करोड़ हो गया।

(घ) और (ङ) : प्रत्येक वर्ष, सरकार वर्तमान समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के अलावा शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मुनाफा सुनिश्चित करना, जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करके, फसलों की बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। वर्तमान में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष अगले पांच साल के लिए दीर्घकालिक एमएसपी नीति तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****